राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

…द / 2018 / 152

दिनांक:– 19.02.2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नन्दराम पुत्र मुकनाराम वगैरा 16 जाति जाट निवासी मगोणी नगर, बायतु भोपजी तह. बायतु जिला बाड़मेर		1. भैराराम पुत्र गुमानाराम वगैरा 26 निवासी मगोणी नगर, बायतु भोपजी तह. बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 21 / 18

आदेश

मौजा मगोणी नगर पटवार हल्का बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 765 / 603, 766 / 734, 767 / 734 रकबा क्रमशः 36.15, 65.05, 87.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:– 19.02.2018

क्रमांक / वाद / 2018 / 152 to 157

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री नन्दराम पुत्र मुकनाराम वगैरा 16।
4. विप्रार्थीगण श्री भैराराम पुत्र गुमानाराम वगैरा 26।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम........

.... नन्दराम ....बनाम .... भैराराम वगैरह ....

किस्म मुकदमा ..... 111, 128 RLR act ..... नं. ..... 21 ..... सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/01/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ..... नरपत पूनड़ ..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128 ..... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... 12/2/18 ..... को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
12/02/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक-पक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के पाटे कोर परन्तु नक्शा स्थापित करना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नक्शाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नक्शाबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी का नक्शाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नक्शाबन्दी मौके पर मुल्क जमाबंदी करावे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली मिसल शुमार हो, दर्ज नम्बर के क्रम हो, दाखिल दफ्तर हो।	

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner